राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20–21/ 24465 जयपुर दिनांक 11-6-2021

आदेश

ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है, ऐसी कन्याओं को विभागीय आदेश क्रमांक 45327, दिनांक 13.07.2016 द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के बिन्दु संख्या 03 के उपबिन्दु संख्या 07 एवं 08 में पात्रता धारक आवेदकों को देय लाभ निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्या	विवरण	देय लाभ
07	ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त नियम 6 में वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा है।	ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है/परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपयें 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, उन्हें योजनान्तर्गत उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने पर विभागीय आदेश क्रमांक 26019, दिनांक 29.04.20 के बिन्दु संख्या 04 अनुदान के उपबिन्दु 02 में देय राशि लागू होगी। योजना के शेष प्रावधान यथावत रहेगें।
08	ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं हैं तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपयें 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु।	

(ओ. पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20–21/24466-558 जयपुर दिनांक : 11-6-21

प्रतिलिपिः– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महोदया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
8. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर............................।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद......................................।
11. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि योजनान्तर्गत पोर्टल पर ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है उन्हें उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने का ऑप्शन देवें।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
13. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
14. आदेश पत्रावली।

11/6/21

(डॉ. एस. एल. पहाड़िया)

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)